



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18177

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-22584 वर्ष 2025

मतीन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: संजय कुमार शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक और श्री सुनील कुमार, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2016 के अपराध संख्या-77 में धारा 302, 394, 411 भ०द०वि०, थाना-कुंदरकी, ज़िला: मुरादाबाद के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। कुछ वस्तुओं की बरामदगी आवेदक पर गलत तरीके से थोपी गई है, क्योंकि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। यह कारावास की अवधि है जिस पर आवेदक ज़मानत का हकदार है क्योंकि वह 4.3.2024 से जेल में है और उसे कैद हुए एक साल और दस महीने बीत चुके हैं। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के लिए कहा था। दिनांक 3.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट इंगित करती है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, क्योंकि धारा 313 द०प्र०स० के तहत आरोपी का बयान पहले ही 19.1.2024 को दर्ज किया गया था और मामला अंतिम बहस के लिए तय किया गया है।

7. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए बिना, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 27, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)